न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला–अजमेर

प्रकरण सख्या– 12 सन् 2014

1. श्री छगना पुत्र श्री प्रताप उम्र बालिग
2. श्री जयराज पुत्र श्री छगना दत्तक पुत्र श्री गोपी उम्र 16 वर्ष
   ना0बा0 जरिये सरंक्षक छगना पुत्र श्री प्रताप

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम भैरूखेडा तहसील बिजयनगर
जिला अजमेर।

.........वादीगण

बनाम

1. श्री रामदेव पुत्र पन्ना उम्र बालिग
2. श्री मति उगमी पत्नि स्व0 श्री पन्ना उम्र बालिग
3. श्री रामकरण पुत्र स्व0 श्री मोतीलाल उम्र बालिग जाति ब्राम्हण निवासी जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बिजयनगर।

.........प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0भू0रा.अधि0

आदेश

दिनांकः– 20.10.2016

प्रार्थी ने इस प्रा0 पत्र मे साराशंत निवेदन किया है कि ग्राम भैरूखेडा पटवार क्षेत्र हनुतिया तहसील मसूदा हाल बिजयनगर जिला अजमेर स्थित साबिक ख0न0 51 रक्बा 3–19–10 व साबिक न0 52 रक्बा 03–13–10 कुल किता 2 रक्बा 07–13–00 इन दोनो के हाल न0 54 बने है जो वादीगण एंव प्रतिवादी स0 1 से 3 के नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज चली आ रही हैं।

नक्शा ट्रेस संवत् 1951–52 मे साबिक ख0न0 52 के उत्तर दक्षिण पूर्व मे सरकारी भूमि साबिक न0 53 हाल न0 54/494 रक्बा 3–09–00 दर्शाया गया है जिसमे पक्ष करान के कोई अधिकार नही हैलेकिन वर्तमान नक्शे मे हाल न0 54 के आधे हिस्से मे पूर्वानुसार तीन तरफ सरकारी भूमि नही दर्शाई गई है इसी भूमि मे से साबिक न0 51 व 52 की उत्तर दिशा मे जो रोड था उसे नया व चौडा बनाया गया है जिसे भी नये नक्शे मे नही दर्शाया गया है। इसलिए प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि नये नक्शे मे ख0न0 54/494 की आराजी एंव नये रोड को तरमीम करवाने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी स0 4 ने जवाब प्रा0पत्र मे निवेदन किया है कि ख0 न0 54 रक्बा 7–13–00 बीघा भूमि प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी स0 1 से 3 की खातेदारी मे दर्ज है तथा ख0न0 494/54 रक्बा 3–09–00 बीघा भमि चरागाह के खाते दर्ज है इन दोनो नम्बरो को ख0न0 54 से नक्शा ट्रेस संवत् 2028 मे दर्शाया गया है तथा ख0न0 494/54 की पृथक से तरमीम नही की गई है।अप्रार्थी स0 1 से 3 की ओर से कोई जवाब पेश नही किया गया है अपितु प्रार्थी ने प्रा0 पत्र पर कार्यवाही ड्रोप करने का निवेदन किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

जिसके विचारधीन चलते प्रार्थी ने असालतन वकालतन उपस्थित होकर प्रा0 पत्र 136 एल आर पर आदेश कर अपेक्षित दुरस्ती करने के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

इस पर बहस वकील प्रार्थीगण एक तरफा सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह सही पाया गया कि संवत् 2028 अर्थात सन 1970–71 के नक्शे मे संवत् 1951 से 1952 के नक्शे मे दर्शाये गये साबिक ख0न0 51,52 के सम्पूर्ण रक्बे एंव साबिक न0 53 के आशिंक रक्बे को मिला कर हाल न0 54 बनाया जाना दर्शाया गया है और वर्किंग जमांबदी मे हाल ख0न0 54 के दो भाग कर ख0न0 54 प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी स0 1 से 3 की खातेदारी मे तथा ख0न0 54/494 चारागाह के खाते लगा दिया गया है चारागाह के खाते के नम्बर की पृथक से तरमीम करने के लिए प्राथीगण यह प्रा0 पत्र लाए है जो उक्त नक्शो की स्थिती को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकार योग्य पाया जाता है अतः स्वीकार किया जाता है तथा आदेश पारित किए जाते है कि– ग्राम भैरूखेडा पटवार मण्डल हनुतिया तहसील बिजयनगर जिला अजमेर के संवत् 2028 के सेटलमेंट के नक्शे मे दर्शाये गए ख0न0 54 मे साबिक ख0न0 51 व 52 से बने हाल न0 54 एंव साबिक न0 53 के आशिंक रक्बे से बने हाल न0 54/494 की जमाबंदी अनुसार रक्बे को छाँट कर पृथक–पुथक तरमीम किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। सवंत् 1951–52 एंव संवत् 2028 के नक्शो की प्रतिया तहसीलदार बिजयनगर को भिजवाई जाकर लेख है कि वह आदेशानुसार हाल नक्शे मे तरमीम कर पालना अन्दर मयाद 15 दिवस पढाना सुनिश्चित करावें।

आदेश आज दिनांक 20.10.2016 खुले इजलास सुनाया गया।

सुरेश चावला
सहायक कलेक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी,
मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.25 13:03:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: